सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR **VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY**
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) **(Government of India : Ministry of Home Affairs)**
हैदराबाद : **Hyderabad– 500 052.**

Inter Office Note

Subject: Notified Recruitment Rules – Regarding

A copy of notified Recruitment Rules for the following posts are enclosed herewith for uploading the same on the Academy Website under "Recruitment Rules" column please.

a. Wireless Operator
b. Junior Engineer (Electronics)
c. Senior Scientific Assistant
d. Photographic Officer
e. Painter cum Artist
f. Administrative Officer Grade-II
g. Junior Scientific Officer

24/12/20

(Dr. K P A Ilyas)
Asstt. Director (Estt)

Asstt. Director (IT)

No. 19011/1/2009/Estt/RRs/A-5 Dated: 24 .12. 2020

Internal

A1, A2, A3 and B-2 : To fill up the vacant posts as per the method of recruitment.

cadre or department, or (iv) with fifteen years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the level-4 of the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department, and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Master Degree in Forensic Science or Physics or Chemistry or Toxicology or Zoology or Botany or Bio-Chemistry or Biology or DNA from recognised University or Institute. (ii) two years of working experience in any Forensic Laboratory or Forensic Science Department in any Government University or Institution or Government recognised University or Institution. **Note 1:-** The departmental Senior Laboratory Assistant with fifteen years of regular service in Level-4 in the pay matrix (Rs. 25,500 – 81,100) and having the educational qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall also be considered along with the outsiders and in case departmental Senior Laboratory Assistant selected for appointment, the post shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 2:-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:-** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application.		

[F.No. 23011/34/2018-PT]

D. K. GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 174.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, फोटोचित्रण अधिकारी भर्ती नियम, 1992 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में फोटोचित्रण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम आर प्रारंभ .**— 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, फोटोग्राफी अधिकारी भर्ती नियम, 2020 हैं।

   2. ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि.—** भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूत पूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फोटोचित्रण अधिकारी	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर– 7 (रु. 44,900–142,400)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पदोन्नति पाने वालों के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा– केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठन या सार्वजनिक उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान के अधिकारी– (क) (i) मूलकैडर या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारक ; या	**समूह–'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं पुष्टिकरण पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे–** 1. निदेशक, सवप राष्ट्रीय पुलिस अकादमी –अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, सवप राष्ट्रीय पुलिस अकादमी –सदस्य 3. सहायक निदेशक, सवप राष्ट्रीय पुलिस अकादमी–सदस्य	लागू नहीं होता।

(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर– 6 रू. 35400–112400/–में नियमित आधार पर पद के लिए नियुक्ति के बाद प्रदान की गई पांच साल की सेवा या मूल कैडर या विभाग में समकक्ष पद पर ; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव धारक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फोटोग्राफी या सिनेमैटोग्राफी का डिप्लोमा। (ii) फोटोग्राफी (कलर फीचर) में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1** –विभागीय कैमरामैन पे मैट्रिक्स लेवल–5 (रु. 29200–92300) के ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा के साथ में और प्रतिनियुक्ति धारक के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने के साथ बाहरी लोगों के साथ भी विचार किया जाएगा। यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय उम्मीदवार का चयन किया जाता है, तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नही होगीं। **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. 23011/28/2018–पीटी]

डी. के. घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2020

G.S.R. 174 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Photographic Officer) Recruitment Rules, 1992, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Photographic Officer in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad (Photographic Officer) Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**— The method of recruitment of the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with the Union Public Service Commission, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Photographic Officer	1*(2020) * Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non- ministerial	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400/-)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	By deputation/promotion

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
By deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory Organization or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-6 in the	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Chairman; 2. Joint Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member; 3. Assistant Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member.	Not applicable.

pay matrix (Rs.35400-112400/-) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following education qualifications and experience: (i) Diploma in Photography or Cinematography from a recognised University or Institution. (ii) Minimum five years experience in Photography (Color or Feature). **Note 1.-** The Departmental Cameraman in Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) with five years of regular service in the grade and possessing the educational qualifications prescribed for deputationist will also be considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application.		

[F.No. 23011/28/2018-PT]
D. K. GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 175.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, चित्रकार एवं कलाकार भर्ती नियम, 1981 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में चित्रकार एवं कलाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**— 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, चित्रकार एवं कलाकार भर्ती नियम, 2020 हैं।

   2. ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि.**— उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।